समाहरणालय, मधेपुरा

(शस्त्र शाखा)

आदेश

इस कार्यालय के ज्ञापांक 186/शस्त्र, दिनांक 12-12-2013 के द्वारा श्री शिवनन्दन यादव, पिता- स्व0 वालाजीत यादव, सा0- नेमुआ, पो0- आनन्दपुरा, थाना- उदाकिशुनगंज, जिला-मधेपुरा को प्रदत्त अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं विहित प्रपत्र में डाटावेश समर्पित नहीं किए जाने के कारण दो नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या 1996/1994 (उदाकिशुनगंज थाना) को शस्त्र अधिनियम की धारा 17 (3) के तहत तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए कारण पृच्छा की गई थी।

इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 1990/गो0, दिनांक 28.11.2011 के आलोक में श्री शिवनन्दन यादव के पुत्र श्री कमल किशोर, पिता- स्व0 शिवनन्दन यादव, सा0- नेमुआ, पो0- आनन्दपुरा, थाना- उदाकिशुनगंज, जिला-मधेपुरा द्वारा अपने पिता- स्व0 शिवनन्दन यादव को प्राप्त दो नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या 1996/1994 (उदाकिशुनगंज थाना) पर धारित शस्त्र संख्या- 81434 को मे0 बिहार गन हाउस, मधेपुरा के कैशमेमो संख्या- 10, दिनांक 03.11.2011 से जमा कर दिया गया है।

उपरोक्त वर्णित स्थिति में शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी के मृत्यु हो जाने के कारण शस्त्र अधिनियम की धारा 17 (6) के तहत् शिवनन्दन यादव को प्रदत्त दो नाली बन्दूक अनुज्ञप्ति संख्या 1996/1994 (उदाकिशुनगंज थाना) को रद्द किया जाता है।

श्री कमल किशोर को आदेश दिया जाता है कि वे अपने स्व0 पिता शिवनन्दन यादव को प्रदत्त दो नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या 1996/1994 (उदाकिशुनगंज थाना) मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा जमा करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि अनुज्ञप्ति को रद्द करने की कार्रवाई की जा सके।

मे0 बिहार गन हाउस, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे स्व0 शिवनन्दन यादव का एक दो नाली बन्दूक 81434 जो रसीद संख्या 10, दिनांक 03.11.2011 से आपके प्रतिष्ठान में जमा की गई है, उसे पूर्ण रूपेण सुरक्षित रखेंगे। बगैर अनुमति के उक्त शस्त्र संबंधितों को हस्तगत नहीं करायेंगे।

जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे अनुज्ञप्तिधारी शिवनन्दन के पुत्र श्री कमल किशोर द्वारा दो नाली बन्दूक अनुज्ञप्ति संख्या 1996/1994 (उदाकिशुनगंज थाना) की मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जमा के उपरान्त शस्त्र पंजी में "रद्द" प्रविष्टि करवा कर अपना हस्ताक्षर पृष्ठांकित करेंगे।

इस आदेश की सूचना संबंधितों को दी जाए।

ह0/-
जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा

ज्ञापांक 189/शस्त्र, मधेपुरा, दिनांक 9-4-14

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल दण्डाधिकारी, उदाकिशुनगंज /थानाध्यक्ष, बिहारीगंज/ मे0 बिहार गन हाउस, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस आदेश को मधेपुरा जिला के वेवसाईट पर सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए।

प्रतिलिपि : श्री कमल किशोर, पिता- स्व0 शिवनन्दन यादव, सा0- नेमुआ, पो0- आनन्दपुरा, थाना- उदाकिशुनगंज, जिला-मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

09/04/14
जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा